

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाडमेर
पीठारसीन अधिकारी :- श्री नानूराम रानी आर.ए.एस.

प्रार्थी
मोटाराम पुत्र जगराम कौम जाट
नि० उचावडा (काश्मीर) तह० शिव
जिला-बाडमेर (राज०)

बनाम

विप्रार्थीगण

1. श्रीमती गोमीदेवी पत्नी जगराम
2. लिछमणाराम
3. तुलछाराम
4. लाखाराम पि० जगराम
5. श्रीमती सारोंदेवी पत्नी गंगाराम कौम जाट
निवासी-उचावडा, तह० शिव, जिला-बाडमेर
6. राज० राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उप
पंजीयक शिव

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

राजस्व आवेदन संख्या :- 248/2018

दिनांक	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
20.09.18	<p>प्रार्थी के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। साथ ही स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी हक की है एवं वे हिन्दु विधि से शासित होते हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में होना पाया जाता है। विवादित भूमि का अन्य हस्तांतरण होने एवं मौका स्थिति में परिवर्तन होने की स्थिति में उन्हें अपूरणिय क्षति होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी तौर से स्वीकार किया जाकर खेत ख० न० 1171/938 व 1174/938 रकबा क्रमशः 18.02, 30.01 बीघा कुल रकबा 48.03 बीघा मौजा गोरसियों का तला, खेत खसरा न० 1082/28, 1087/151 व 1092/59 रकबा क्रमशः 5.04, 6.00 व 4.07 बीघा कुल रकबा 15.11 बीघा मौजा उचावडा पटवार मण्डल काश्मीर तथा खेत खसरा न० 26 रकबा 87.17 बीघा मौजा नागोणा पटवार मण्डल कानासर तह० शिव की भूमि के सम्बन्ध में आगामी पेशी तिथि तक विप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्य हस्तांतरण नहीं करने तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। फर्द अहकाम जारी हों।</p> <p>विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा 28.09.2018 को पेश है।</p> <p>सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला बाडमेर</p>	
28/9/18	<p>बार्ड/प्रार्थी/अपीलाण्ट वकील का प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/रेस्पोंडेण्ट के वकील उप.। शेष के सम्मन/ नोटिस जारी होकर पत्रावली आईन्दा..... को पेश हो -</p> <p>28/9/18</p>	
26/10/18	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं: अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अन्तिम कार्यवाही दि. 26/10/18 को पेश हो</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) शिव</p>	


नम्बर व
अहकाम उ
हुकम की
में जारी हु

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम उ
हुकम की
में जारी हु

प. उ. 25

पत्रावली पेश। बाकुलाप अनुपस्थित।
पत्रावली में उमावी चैरवी हेतु न्यायालय
समय में उापी व बाकुलाप के कक-कककर
आवाजे ही जाने के बाबजूद अनुपस्थित।
अतः पत्रावली में कोई उमावी चैरवी नहीं होने
तथ्य उापी व बाकुलाप के अनुपस्थित रहने
पर उक्त आवेदन अदालत एजरी व चैरवी के
खारिज किप जाता है।
पत्रावली नम्बर सं उम एक्टर
दाखिल दम्बर है।


सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)